सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री पी.पाण्डेय, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2021 दिनांक 06.01.2021

श्री मनीष कुमार सोनी
राजनांदगांव — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5422
Date 08 FEB 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE web
CE
Section

–:: आदेश ::–

(दिनांक 06/02/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री मनीष कुमार सोनी, राजनांदगांव की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रकरण क्रमांक 01/2021 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 26.11.2020 के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई है :–

(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. के अंतर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिये भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के तारतम्य में भर्ती प्रकिया के तृतीय चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण में उपस्थित आवेदकों में से अनुसूचित जनजाति संवर्ग के समस्त उम्मीदवारों की ऑनलाईन परीक्षा (CBT) एवं कौशल परीक्षा (Computer Typing Test) में प्राप्त प्राप्तांकों की प्रमाणित प्रति।

(ब) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. के अंतर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद के लिए भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के तारतम्य में भर्ती प्रकिया के तृतीय चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण में उपस्थित आवेदकों में से अनुसूचित जनजाति संवर्ग के समस्त उम्मीदवारों की ऑनलाईन परीक्षा (CBT) एवं कौशल परीक्षा (Computer Typing Test) में प्राप्त प्राप्तांकों की सूची।

(स) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. के अंतर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद के लिए भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के तारतम्य में भर्ती प्रकिया के तृतीय चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण में उपस्थित आवेदकों में सें दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिये आवेदकों में से अनुसूचित जनजाति के समस्त उम्मीदवारों की ऑनलाईन परीक्षा (CBT) एवं कौशल परीक्षा (Computer Typing Test) में प्राप्त प्राप्तांकों की प्रमाणित सूची।

(3) पत्र क्रमांक 03 दिनांक 14.01.2021 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 03.02.2021 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा 03 बिन्दुओं के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है।

तत्संबंध में पत्र क्रमांक 2713 दिनांक 24.12.2020 के माध्यम से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित बिन्दुवार ज़ानकारी के संबंध में अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी संधारित नही है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या क्रं. 1/18/2011–आई.आर दिनांक 16.09.2011 के अनुसार वांछित जानकारी/दस्तावेज सृजन कर दिये जाने का प्रावधान नही है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर, दोनो उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

(iii) अपीलार्थी का तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा यह कहकर कि जानकारी संधारित नही है, उपलब्ध नही करायी गई है। अतः प्रार्थी को जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क कि कंड़िका 02/–टीप में वांछित जानकारी के संबंध में कंड़िका 04/–टीप के माध्यम से आवेदक को अवगत कराया गया है कि बिन्दुवार चाही गई जानकारी संधारित नही है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के संख्या क्रं. 1/18/2011–आई.आर दिनांक 16.09.2011 के अनुसार जानकारी सृजन कर दिये जाने का प्रावधान नही है।

लेख है कि धारा 8(1)(ञ) में निहित तथ्यों के अंतर्गत कंड़िका 02/–टीप में वांछित जानकारी परव्यक्ति से संबंधित सूचना है, जिसका प्रकटन विस्तृत लोकहित में नही है। व्यक्तिगत जानकारी अपरिचित या संबंधहीन व्यक्ति को नही दी जा सकती है। क्योकि जानकारी के प्रकटन से किसी व्यक्ति विशेष की निजिता हनन होने की संभावना है। प्रत्येक प्रश्न–पत्र में प्रतिभागी उम्मीदवारों द्वारा कितने अंक प्राप्त किये गये है तृतीय पक्ष को बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नही है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।

जैसा कि अपीलार्थी उक्त भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी उम्मीदवार नही है। अतः अपीलार्थी का उक्त भर्ती परीक्षा से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। वस्तुतः उन्हे तृतीय पक्ष की जानकारी उपलब्ध कराया जाना विधिसंगत नही है। अतः आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होगा कि उक्त सूचना के प्रकटन में व्यापक लोकहित निहित है और तृतीय पक्ष की जानकारी दिया जाना विधिसंगत है।

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 10044 of 2010 & Ors. Date 13-11-2019 titled as CPIO, Supreme Court of India V. Subhash Chandra Agarwal, के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, **marks** obtained, grades and answer sheets, professional records, including qualification performance, are all treated as personal information Similarly,

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के W.P.(C) 7976/2020 आदेश दिनांक 12 जनवरी 2021 Har Kishan Through Mr. Milind P. Singh Advocate Versus President Secretariatt Through Its Secretary & Anr. के प्रकरण में पारित आदेश के तहत धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत परव्यक्ति की जानकारी के प्रकटन से निषेध किया गया है।

जैसा कि डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में दस्तावेज हेतु सेलेक्ट हुए कुल 1400 उम्मीदवारों के कौशल व CBT के अंक पॉवर कंपनी के वेबसाइट में अपलोड किये जाने तत्संबंधी

...वाही प्रक्रियाधीन है। अतः अतिशीघ्र उक्त जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट मे अपलोड कर दिया जावेगा।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/–टीप के पैरा (III) में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क विधिसंगत है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी व्यक्ति विशेष से संबंधित गोपनीय जानकारी है, जो कि किसी भी प्रकार से व्यापक लोकहित में समाहित नही है। अतः प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कंडिका 05/–टीप के पैरा (III) में दिये गये प्रत्युत्तर, नियमानुसार सही है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह स्वीकार योग्य है।

एक अन्य तथ्य जिसकी चर्चा किया जाना उचित होगा यह है कि क्या चाही गई जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित होगा ?

तत्संबंध में धारा 8 (1) (ञ) में निहित प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी उक्त आदेशों के अवलोकनार्थ एवं व्यापक लोकहित को देखते हुए कंड़िका 2/–टीप में उल्लेखित जानकारी का प्रकटन व्यापक लोकहित में उचित नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 01/2021 दिनांक 06.01.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(पी.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574040

पृ.क्रमांक 01-02/अ.प्र./05 दिनांक - 06/02/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को – सूचनार्थ प्रेषित।

(3). श्री मनीष कुमार सोनी, चौखाड़िया पारा, वैष्णव देवी मंदिर के पीछे, वार्ड नबरं – 40, राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर
जिला– रायपुर